INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

6771/04









949/SDo(C) 3/7/04

हम प्रदीप चन्द्र गोविल पुत्र स्व0 डा0 जे0एल0 गोविल तथा कुमुद गोविल पत्नी श्री प्रदीप चन्द्र गोविल, निवासी 531/13 बड़ा चांद गंज, लखनऊ के निवासी है। हम लोगो की आस्था शिरडी के सांई बाबा में है। हमलोग पर्यावरण सुधार, शिक्षा तथा समाज के उत्थान के लिये कार्य करना चाहते है। इसके लिये हम एक ट्रस्ट "शिरडी सांई बाबा कल्याण ट्रस्ट" की स्थापना इस विलेख के द्वारा कर रहें हैं। इस ट्रस्ट का मुख्यालय सिविल लाइन्स, हैड पोस्ट आफिस के पास, लखीमपुर-खीरी में रहेंगा। इस ट्रस्ट का उद्देश्य, ट्रस्टी, सम्पत्ति, कार्य करने का ढंग निम्न प्रकार का होगा।

**ट्रस्ट का उद्देश्यः-**

1. सभी का (विशेषकर महिलाओं व बच्चों का) सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, मानसिक व चरित्र विकास
2. प्राइमरी स्तर से उच्चस्तर तक शिक्षा प्रदान करने व शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय व वचनालय की स्थापना।
3. गैर परम्परागत शिक्षा, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक समरसता तथा उत्थान व पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सांस्कृतिक व जनजागरण कार्यक्रम तथा सेमीनार/कार्य गोष्ठी का आयोजन।
4. शिक्षा, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक समरसता तथा उत्थान व पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सरकारी विभाग/संस्था या अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सहयोग/सेवायें प्रदान करना।
5. उपरोक्त से सम्बन्धित कार्यो से सम्बन्धित पुस्तकों/मैगजीनों को छपवाना।

कुमुद गोविल

सामान्य को दी जाने वाली कूच [illegible] की हस्त पुस्तिका [illegible] कार्यालय में [illegible] शुल्क

क्र० सं० 07 दिनांक 29-04-03 कीमत 5000 [illegible] उपलब्ध [illegible]

नाम पी० सी० [illegible] S/o [illegible] गोविल

पता बड़ा [illegible] गंज

जिला [illegible]

[signature]

स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट लखीमपुर-खीरी

ला० न० 123/98

[illegible] 3000/

निबन्धन शुल्क 5000 प्रति० [illegible] 10 मुकाबला मु० 10 योग 5020 शब्द [illegible] 600

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] पेशा [illegible]

निवासी ग्राम/मो० 531/13 [illegible] को

मु० लखीमपुर [illegible] ने यह लेखपत्र आज दिनांक 29-4-03 को

समय 3 व 4 बजे के मध्य कार्यालय उप निबंधक लखीमपुर में

निबंधन [illegible]

[signature]

उप निबन्धक

लखीमपुर

29-4-03

इस लेखपत्र के विषय व निष्पादन को सुन व समझकर ~~तथा प्रतिफल~~

~~मु० में से मु० रु० पूर्व व~~

~~मु० नकद मेरे समक्ष प्राप्त करना~~ स्वीकार उक्त [illegible]

श्री [illegible]

गोविल नि० 531/13 बड़ा [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ने स्वीकार किया जिनकी पहचान श्री [illegible] 12810 [illegible]

पुत्र श्री [illegible] ग्राम/मो० [illegible]

परगना [illegible] त० ल[illegible]

पुत्र श्री [illegible] /मो० 

प० लखीमपुर जिला खीरी ने की

[signature]

[illegible] गोविल

उप निबन्धक

लखीमपुर

29-4-03

[signature]

ट्रस्ट के ट्रस्टीज :-

इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज निम्नानुसार होगें।

| क्र0सं0 | नाम | स्थाई पता | वर्तमान व्यवसाय | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप चन्द्र गोविल ~~सरवराहकार~~ पुत्र श्री स्व0 डा0 जे0एल0 गोविल | 531/13 बड़ा चांदगंज, लखनऊ | शासकीय सेवा | संस्थापक सरवराहकार / अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती कुमुद गोविल पत्नी श्री पी0सी0 गोविल | ,, | सामाजिक कार्यकर्ता | संस्थापक सरवराहकार / सचिव |
| 3. | श्री आनन्द प्रकाश मित्तल पुत्र स्व0 श्री पी0एल0 मित्तल | हैडपस्टि आफीस के पास, सिविल लाइन लखीमपुर-खीरी। | सामाजिक कार्यकर्ता | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्रीमती कुसुम मित्तल पत्नी श्री ए0पी0 मित्तल | ,, | सामाजिक कार्यकर्ता | संयुक्त सचिव |
| 5. | श्रीमती प्रेरणा अरमान पत्नी श्री अरमान मौहम्मद | 12, डा0 सूजा रोड, लालबाग लखनऊ | सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 6. | श्रीमती कामना शेखावत पत्नी श्री रघुवीर शेखावत | 301, सुन्दरम, ऐंवर शाइन मीरा रोड, जिला- थाणे (महाराष्ट्र) | सामाजिक कार्यकर्ता | ,, |

ट्रस्ट के संस्थापक सरवराहकार हम अर्थात, प्रदीप चन्द्र गोविल तथा कुमुद गोविल आजीवन रहेंगे तथा ट्रस्ट के (संयुक्त) कोषाधिकारी भी रहेगें। एकल सरवराहकार प्रणाली के अनुसार अपने स्थान पर किसी और को सरवराहकार नियुक्त कर सकता है। उपरोक्त अन्य सभी ट्रस्टी ट्रस्ट के आजीवन या जब तक कि किसी भी संस्थापक सरवराहकार द्वारा हटाये न जाये ट्रस्टी रहेगा। परन्तु यदि वे पागल, दिवालिया या धार्मिक भेद-भाव गतिविधियों में लिप्त रहने वाले या न्यायालय से सजा पाये व्यक्ति हो गये तो उनकी ट्रस्ट से सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेंगी।

क्र.सं. 08 क्रा.न. 07 दिनांक 29-04-03

राजेश गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट लखीमपुर

उपरोक्त प्रगटत भद्र मखियों के अंगुष्ठ चिन्ह
नियमानुसार लिए गए है।

उप निबन्धक
लखीमपुर
29-4-03

P. P. vide M.B. No. 39/29-4-03 [illegible]
29.4.03

Resumed vide M.B. [illegible] 23/04

एक या दोंनो संस्थापक सरवराहकार, जब उचित समझे अपने स्थान पर किसी अन्य ट्रस्टी को अध्यक्ष या सचिव नामित कर सकते है।

ट्रस्ट की कार्य प्रणाली :-

1. ट्रस्ट के सभी निर्णय उपरोक्त ट्रस्टियों की बहुमत से किये जायेंगे परन्तु यदि किसी भी संस्थापक सरवराहकार की राय बहुमत के विपरीत होगी तो संस्थापक सरवराहकार की राय को मान्यता दी जायेगी तथा ऐसी स्थिति में दोनों सरवराहकारों के संयुक्त निर्णय के अनुसार ही कार्य होगा।
2. दोनो संस्थापक सरवराहाकरों में से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित संस्थापक सरवराहकार ही एकल संस्थापक सरवराहकार होगा।
3. एकल संस्थापक सरवराहकार को अपने स्थान पर श्रीमती प्रेरणा अरमान या श्रीमती कामना शेखावत मे से किसी एक को सरवराहकार नियुक्त करने का अधिकार होगा। यह नियुक्ति वह अपने जीवन काल में भी कर सकते है तथा अपनी मृत्यु के बाद के लिये भी अपनी वसीयत द्वारा नियुक्त कर सकते है। यदि जीवनकाल में कोई नियुक्ति की जाती है तो एकल संस्थापक सरवराहकार को अधिकार होगा कि वह जब चाहे नियुक्त सरवराहकार को पदच्युत न पदमुक्त कर दें तथा पुनः स्वयं सरवराहकार रहें अथवा दूसरे ट्रस्टी को सरवराहकार नियुक्त कर दें। एकल संस्थापक के जीवित रहने पर यदि उनके द्वारा नियुक्त सरवराहकार की मृत्यु हो जाये तो एकल संस्थापक सरवराहकार स्वयंमेव पुनः सरवराहकार हो जायेंगे।
4. यदि एकल संस्थापक सरवराहकार की मुत्यु हो जाय तथा वे अपने उत्तराधिकार हेतु कोई व्यवस्था न करें या उनके द्वारा नियुक्त सरवराहकार की मृत्यु हो जाये तो ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे श्रीमती प्रेरणा या पत्नी श्री अरमान मौहम्मद या श्रीमती कामना पत्नी श्री रघुवीर शेखावत को अथवा उनके पुत्र या पुत्रियो में से किसी को या उनके वंशजो मे से किसी को कमेटी की सलाह से सरवराहकार नियुक्त करें।

क्र.स. 09 खा.न. 07 दिनांक 29-04-03

राजेश गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट लखीमपुर

5. संस्थापक सरवराहकार या उपरोक्तानुसार नियुक्त अन्य सरवराहकार को अधिकार होगा कि किसी भी ट्रस्टी को हटा दें तथा यह भी कि रिक्त पद पर उपरोक्त प्रस्तर 4 में उल्लिखित दोनों परिवारों के किसी भी वंशज को नवनियुक्त कर ले। नवनियुक्त ट्रस्टी व बालिग व सदाचरण करने वाला होवे।
6. सरवराहकार ट्रस्ट का कोषाधिकारी भी होगा।

ट्रस्ट की बैठक :-

1. ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से तथा उसके द्वारा स्वीकृत एजेन्डे हेतु सचिव द्वारा बुलायी जायेगी समस्त अभिलेख सचिव द्वारा रखे जायेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थित में बैठक का संचालन उपाध्यक्ष करेंगे तथा सचिव की अनुपस्थित में उनका कार्य संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।
2. सामान्यतः ट्रस्ट की वर्ष में 2 बार बैठक होगी तथा एक वार्षिक बैठक होगी परन्तु आवश्यकतानुसार तथा सरवराहकार की अनुमति से विशेष या आकस्मिक बैठक इसके पूर्व भी किसी समय की जा सकती है।
3. सामान्य बैठक के लिये 7 दिन, विशेषा बैठक के किये 24 घण्टे, व आकस्मिक बैठक के लिये 6 घण्टे का समय पर्याप्त समझा जायेगा।
4. तीन या तीन से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में कोरम माना जायेगा।
5. ट्रस्ट की वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के आर्थिक विधान तथा भविष्य के कार्यो के विषय में निर्णय होगा।
6. ट्रस्ट अपने कार्य करने के ढंग के विषय में रूपरेखा अपनी कमेटी द्वारा निर्धारित करेंगा।
7. विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमीनार/गोष्ठी या अन्य सहायक कार्यो या छपाई आदि के लिये ट्रस्ट, ट्रस्टियों मे से एक समिति गठित करके उसें या ट्रस्ट के किसी एक सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है।

क्र.सं. 10 खा.नं. 07 दिनांक 29-04-03

राजेश [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट लखीमपुर

ट्रस्ट की सम्पत्ति :-

ट्रस्ट अपने कार्यो को मूर्त रूप देने के लिये विद्यालय/विद्यालयों से तथा अन्य सेवाओं से प्राप्त आय, दान आदि से धन/सम्पत्ति की व्यवस्था करेगा। ट्रस्ट के धन से जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी वह ट्रस्ट के नाम अर्जित की जायेगी। तथा उसका स्वामी ट्रस्ट होगा। अभी प्रत्येक सदस्य 500 रूपया ट्रस्ट को दान दे रहा है इस प्रकार मुबलिग 3000.00 रूपया ट्रस्ट के पास है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की सदस्य श्रीमती कुसुम मित्तल द्वारा अपने विद्यालय 'चिलड्रेन्स एकेडमी' लखीमपुर-खीरी का प्रबन्धन, पूर्ण आस्तियों एवं दायित्व के साथ ट्रस्ट को सौंपा जा रहा है। इसका मूल्य रू0 7,00,000 (सात लाख) है।

प्रकीर्ण उपबन्ध :-

1. ट्रस्ट के किसी भी कार्य के विषय में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार किसी भी ट्रस्टी को नही होगा। ट्रस्ट के संस्थापक सरवराहकारों या एकल संस्थापक सरवराहकार, जैसी भी स्थिति हो, को यह अधिकार होगा कि यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो की पूर्ति में सफल नही हो रहा है तो वे इस ट्रस्ट को समाप्त कर सकते है या ट्रस्ट में परिवर्तन कर सकते है। ट्रस्ट के समाप्त करने की स्थिति में ट्रस्ट की संपत्ति संस्थापक सरवराहकारों या एकल संस्थापक सरवराहकार के निर्णय के अनुसार ट्रस्ट के सदस्यों में बाँट दी जायेगी। यह निर्णय अन्तिम होगा।
2. यदि ट्रस्ट को समाप्त करने का निर्णय अन्यथा नियुक्त सरबराहकार द्वारा किया जाता है तो उक्त निर्णय जीवित एकल संस्थापक सरवराहकार की अनुमति से ही वैध होगा तथा संपत्ति का बंटवारा भी एकल संस्थापक सरवराहकार के द्वारा ही अंतिम किया जायेगा।
3. यदि कोई संस्थापक सरवराहकार जीवित नही है तो आसीन सरवराहकार का निर्णय ट्रस्ट को समाप्त करने हेतु अंतिम होगा। धन संपत्ति के बंटवारे के लिए श्रीमती प्रेरणा व श्रीमती कामना बराबर, ~~उसके~~ उनके बच्चों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। उदाहरणतः यदि ट्रस्ट की संपत्ति दस रूपये है तो पांच रूपये श्रीमती प्रेरणा के तथा पांच रूपये श्रीमती कामना के बच्चों को प्राप्त होगे।

कुसुम गोविल

क्र.सं. 11 ना.न. 07 दिनांक 29-04-03

राजेश गुप्ता

स्टाम्प विक्रेता

सिविल कोर्ट लखीमपुर

50 Rs.




विद्यालय हेतु प्रबन्ध :-

1. ट्रस्ट अपने विद्यालयों के संचालन के लिये विद्यालय प्रबन्धन बोर्ड व बाइलाज बनायेगा। ट्रस्ट को बोर्ड को आवश्यक निर्देश/आदेश देने का अधिकार होगा। व बोर्ड ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होगा।
2. संस्थापक सरवराहकार या अन्य ट्रस्टी भी विद्यालय में अपनी अर्हता के अनुसार पद ग्रहण कर सकेंगे तथा इस हेतु उनका पारश्रमिक ट्रस्ट द्वारा तय किया जायेगा। संस्थापक सरवराहकारों के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टियों को विद्यालय में कार्य करने हेतु ट्रस्ट की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. विद्यालय के कर्मियों की नियुक्ति विद्यालय प्रबन्धन बोर्ड के अनुमोदन से की जायेगी।

उपरोक्त कार्यो के लिये उपरोक्त प्रकार से हम अपनी स्वस्थ दशा में यह ट्रस्ट विलेख निष्पादित कर रहें हैं तथा इसके द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर रहें है। वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास उपरोक्त के अतिरिक्त अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है। तथा आगे जो भी सम्पत्ति होगी भविष्य में होगी।

स्टाम्प अदायगी के लिये ट्रस्ट विलेख का मूल्यांकन रू0 703000.00 (सात लाख तीन हजार) पर किया जा रहा है। जिस पर रू0 7650.00 (सात हजार छः सौ पचास) का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

कुमुद गोविल

(प्रदीप चन्द्र गोविल) (कुमुद गोविल) (आनंद प्रकाश मित्तल) (कुसुम मित्तल)

Preeng. कामना
(प्रेरणा अरमान) (कामना शेखावत)

गशिव ... 004

क्र.स. 12 ला.न. 07 दिनांक 29-04-03

राजेन्द्र गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट लखीमपुर

कार्यालय कलेक्टर स्टाम्प/उपजिलाधिकारी लखीमपुर
वाद सं. 11/2.9.010 श्रीमती ... बनाम श्रीमती ...
मौजा ... मिश्री साई लाल
तारीख फैसला 22-6-04

प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत धारा 42 भारतीय स्टाम्प एक्ट
प्रमाणित किया जाता है कि लेख पर आरोपित
कमी स्टाम्प शुल्क रु. 450/- एवं अर्थ दण्ड
450/-+105 ब्याज रु. 1005/- ... [illegible]
... निर्धारित ... 
के अन्तर्गत जमा किये ... अतः लेख को उक्त
कार्यालय घोषित किया जाता है।

कलेक्टर स्टाम्प
उपजिलाधिकारी लखीमपुर
2/7/04

01-07-04

3117 253
264
627